सम्पादकीय

संगीत में बेरोजगारी: एक ज्वलंत समस्या

संगीत तनाव को दूर करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है. अवसाद से मुक्त करता है. लेकिन आज संगीत से तनाव दूर करने वाले संगीतकार तनाव ग्रस्त होते जा रहे है. मन को शांति प्रदान करने वाले युवा संगीतकार रोजगार पाने के लिए सोशल मिडिया से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहे है.

संगीत में बेरोजगारी के क्या हालात है ये किसी से छुपे नही है. हर स्तर पर नौकरियां सिमटती जा रही है. NET, M.Phil.,PhD किये कितने ही विद्यार्थी नौकरी की आस में संघर्ष करते –करते बूढ़े होने लगे है. कई संगीत डिग्री धारकों ने अपने छोटे- छोटे स्कूल खोल लिए है और जैसे तैसे अपनी ज़िन्दगी का गुज़र बसर कर रहे है. कुछ संगीत डिग्री धारक ऐसे भी है जिनके पास न तो नौकरी है और न ही स्कूल खोलने भर के लिए पूंजी. संगीत की टियुशन ही उनकी रोजी रोटी का साधन है. आज की तारीख में वही शिक्षा कारगर है जो कम से कम दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके. संगीत गायन में NET, PhD कर चुके और पिछले दस वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे एक संगीत के विद्यार्थी ने बताया कि संगीत में रोज़गार को लेकर कई सारी समस्याएं है. बहुत सारे विश्वविद्यालयों में समय-समय पर संगीत के पदों का विज्ञापन तो आता है. सैकड़ों की संख्या में अपेक्षित योग्यता रखने वाले संगीतार्थी आवेदन भी करते है लेकिन आवेदन के बाद कई- कई सालों तक साक्षात्कार की प्रक्रिया ही नहीं होती है. हम आस लगाए बैठे रहते है. कुछ विश्वविद्यालय तो बार बार उन्हीं पदों का विज्ञापन निकालते रहते है लेकिन साक्षात्कार कभी नही कराते. ऐसा लगता है वो विज्ञापन केवल पैसा कमाने के लिए और हमें बार- बार यह एहसास कराने के लिए निकलते है कि हम बेरोजगार है.

इसके अलावा एक मुद्दा यह भी है कि कई बार आयोग और विश्वविद्यालयों में 'संगीत' के पद का विज्ञापन आता है. लेकिन यह स्पष्ट नही होता कि विज्ञापित पद गायन का है, सितार है, तबले का है या नृत्य का या किसी अन्य विषय का. जिसके चलते एक भ्रम की स्तिथि पैदा होती है. प्रत्येक विधा का विद्यार्थी इस उम्मीद में उसमे आवेदन कर देता है कि शायद विज्ञापित पद उसके विषय का ही हो. लेकिन उसे तब निराशा हाथ लगती है जब उसे मालूम होता है कि जिस पद के लिए उसने आवेदन किया, फीस भरी, साक्षात्कार के लिए कड़ी मेहनत की....वो पद उसके विषय का ही नही था. ऐसी स्तिथि में विद्यार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस करता है. इस पूरी प्रक्रिया में संगीत के विद्यार्थी का जो आर्थिक, शारीरिक, और मानसिक उत्पीड़न होता है, उसका जिम्मेदार कौन है ? ऐसे ही हालात बने रहे और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कम से कम ख्याल गाने वाले विद्यार्थी ये समझ लें कि वो ख्याल तो मेहनत से सीखें और गायें लेकिन नौकरी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें.

UGC साल में दो बार नेट की परीक्षा आयोजित करती है. जिसमे हजारों की संख्या में संगीतार्थी मेहनत करके परीक्षा में इस उम्मीद के साथ बैठते है कि UGC NET उत्तीर्ण करके वो किसी डिग्री कालेज या विश्विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नियुक्त हो सकेंगे. संगीत में नौकरियों की संख्या कम होती जा रही है

लेकिन हर साल NET और JRF संगीतार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है. नौकरी न मिल पाने के कारण NET, PhD कर चुकी कई लड़कियां, जिन्होंने अपने गुरुओं से बहुत अच्छी तालीम भी ले रखी है और जिनके संगीत का स्तर भी बहुत अच्छा है, घर वालों के दबाव में आकर अंततः शादी कर लेती है और संगीत में करियर बनाने कि हसरत दिल में ही रह जाती है. लड़कों का हाल इससे भी ज्यादा बुरा है. उन्हें तो पैसे भी कमाने है. घर को सहारा देना है. शादी भी करनी है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनानी है.

संगीत में बढ़ती बेरोजगारी से हालात ऐसे हो गए है कि अब ये एक आन्दोलन की शक्ल ले चुका है. राजस्थान के बूंदी जिले में कला संगीत विषय से जुड़े बेरोजगार अभ्यार्थियों ने सरकार के खिलाफ गाते- बजाते प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. बेरोजगार कला अभ्यर्थियों ने बताया कि कक्षा एक से लेकर दस तक चित्रकला और संगीत अनिवार्य विषय है, लेकिन वर्ष 1992 से राजकीय विद्यालयों में बच्चों को कला शिक्षा की पढाई नही कराई जा रही. कला संगीत शिक्षक का पद भी सृजित नहीं हो रहा है. इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगे नही मांगी गयी तो वो विधान सभा के सामने आक्रोश प्रदर्शन करेंगे. लगभग इस तरह के हालात कम ज्यादा सभी राज्यों में है.

इस अन्धकार में संगीत संघर्ष के कुछ उदाहरण हिम्मत भी बंधाते है. वर्ष 2012 में केरल सरकार ने त्रिसूर जिले में स्थापित 102 वर्ष पुराने एस.आर.वी. संगीत विद्यालय को यह कह कर बंद कर दिया कि केरल के दूसरे संगीत संस्थानों में यहाँ से ज्यादा अच्छी सुविधाएँ है और विद्यार्थी वहां से अपनी उच्च संगीत शिक्षा हासिल कर सकते है. त्रिसुर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और यहीं है केरल का सबसे पुराना और पहला संगीत विद्यालय - एस. आर. वी. संगीत विद्यालय. यह केरल का सबसे पहला संगीत विद्यालय है. 19 जुलाई 1910 में इसकी स्थापना कोचीन के महाराजा श्री राम वर्मा ने करवाई थी, जिसका उद्देश्य कोचीन के शाही परिवार की महिलाओं को संगीत सिखाना था, जिसका बाद में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था.

एस. आर. वी. संगीत विद्यालय के बंद किये जाने के विरोध में Digital Film Makers forum ने प्रो. के. बी. उन्नीथन के नेतृत्व में 19 फरवरी 2013 को शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया. प्रो. के. बी. उन्नीथन एक राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्त्ता और Digital Film Makers forum के मुख्य संरक्षक भी है. मलयाली फिल्म के जाने माने डायरेक्टर विद्याधरन के अतिरिक्त बड़ी संख्या में संगीत और कला जगत के कलाकार, संगीत विद्यार्थी और कई राजनेता भी इस धरने में शामिल हुए. मुख्य मंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री, सांसद आदि मंत्रियों को इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन सौंपा गया साथ ही केरल के मानवाधिकार आयोग में भी एक ज्ञापन दिया गया. मानवाधिकार आयोग के न्यायाधीश आर. नादाराजन ने पत्र लिखकर सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेने को कहा. विधायक थैरमबिल रामकृष्णन ने विधान सभा में एस. आर. वी. संगीत विद्यालय के बंद किये जाने और इसके उन्नयन से सम्बंधित सवाल उठाए. शिक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया और तत्काल दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता के निर्देश भी दिए. सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2015 प्रो. एम. बालासुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर दिया, जिसे

विद्यालय के उन्नयन यानी विद्यालय से महाविद्यालय बनाने सम्बन्धी सुझाव देने थे. प्रो. एम. बालासुब्रमण्यम ने विद्यालय के उन्नयन से सम्बंधित जो सुझाव सरकार को दिए थे वह सब स्वीकार किये गए. एस. आर. वी. संगीत विद्यालय को महाविद्यालय की मान्यता देते हुए इसका नामकरण S.R.V. Government College of Music and Performing Arts कर दिया गया है. जून 2018 में कालीकट विश्वविद्यालय ने इसे Provisional affiliation देते हुए वर्ष 2018-2019 के लिए कर्नाटक संगीत, वीणा, वायलिन और मृदंगम विषयों में संगीत में स्नातक (B.A. in Music) के पाठ्यक्रम आरम्भ किये है. इस पाठ्यक्रम में 30 सीटें है, जिनमें शास्त्रीय गायन की 12 तथा वीणा, वायलिन और मृदंगम की 6-6 सीटें है. इसके अतिरिक्त कालीकट विश्वविद्यालय ने एक समिति का भी गठन किया है जो संगीत, भरतनाट्यम, और मोहिनीअट्टम नृत्य में B.P.A. (Bachelor of Performing Arts) आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में अपने सुझाव देगी.

संगीत की संस्थागत शिक्षा के इतिहास की यह एक अपने आप में अनूठी घटना है, जो बताती है कि 21वीं सदी का संगीत सामन्ती विचारधारा से आगे निकाल आया है और उसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लोकतान्त्रिक मूल्यों के सहारे लड़ना सीख लिया है. संगीत में बेरोजगारी से संघर्ष करते हुए युवा संगीतकारों के लिए यह एक अच्छा उदाहरण हो सकता है. जब दक्षिण भारत में ऐसा हो सकता है तो यहाँ उत्तर भारत में क्यों नही?

खैर....इस सम्बन्ध में एक ख़ुशी की खबर यह है कि CBSE बोर्ड के सभी स्कूलों में अब Arts Education अनिवार्य कर दिया गया है. सभी CBSE स्कूलों में अब म्यूजिक, डांस, थीएटर और चित्रकला जैसे विषय सिलेबस का हिस्सा होंगे. नया नियम कक्षा 1 से 12वीं तक इसी एकेडमिक सेशन से लागू होगा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई ने छात्रों के बेहतर प्रदर्शन के लिए नये नियम लागू किए हैं. बोर्ड ने कला के महत्व को शिक्षा में समझते हुए यह निर्णय लिया है. बोर्ड ने इसके लिए कई स्कूलों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों NCERT सहित अन्य लोगों से संपर्क किया है. बोर्ड का मानना है शिक्षा में कला को समाहित करने से शिक्षण को और रुचिकर और बेहतर बनाया जा सकता है. बोर्ड ने कहा कि CBSE ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों को 2019-20 के शैक्षणिक सत्र से इसे लागू करने का निर्देश दिया है. प्रत्येक स्कूल कला शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से प्रति सप्ताह, कक्षा में न्यूनतम दो कक्षाएं संचालित करेगा. हालांकि इनके लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी. थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर छात्रों का इन विषयों में असेसमेंट होगा.हम सबको इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि स्तिथियाँ यूं ही बद् से बद्तर होती गयी तो भविष्य में संगीत सीखने के लिए आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ सकती है. जब विद्यार्थी ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक पद भी नही रहेंगे. हमारी वर्तमान संगीत शिक्षण नीतियों का पुनर्मूल्यांकन किये जाने की जरूरत है. शिक्षण नीतियाँ संगीत की संस्थागत शिक्षा के विस्तार के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए. तभी आने वाली पीढ़ी का भला हो सकेगा.

सम्पादक
डॉ. अमित वर्मा